Factual Report in the matter of Rajendra Tiwari V/s Union of India&Ors. (OA No. 120/2023) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Rajendra Tiwari V/s Union of India &Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Rajendra Tiwari has raised the issue that a piece of land situated in Khasra No. 5621/9105 and 5620-5621 at village Amer has been recorded in the name of Forest Department and having the status of reserved forest land of Vankhand Amer 54 and also part of Nahargarh Wildlife Sanctuary further the Khasra no. 65 of village Nahargarh is revenue land however it is part of described area of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is contended that some dairy is operating on this Khasra number of the forest department causing pollution and playing with the health of the people and throwing the liquid and the solid waste upon the reserve forest and encroaching the area of the forest.

Order

Hon'ble NGT Central Zone Bench passed an order dated 25.10.2023 which inter-alia says as under:-

> *"8. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-i. Collector, District, Jaipur. ii. One representative from the Principal Chief Conservator of Forest/Chief Wildlife Warden, Forest Department, Govt. of Rajasthan. iii. One representative from Rajasthan Pollution Control Board.*
>
> *9. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

Field Visit

The following persons conducted the field visit on 23.11.2023 in connection with this case:

(i) Smt. Alka Bishnoi, ADM JaipurCity(North), Jaipur.
(ii) Sh. Sangram Singh Katiyar, Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.
(iii) Sh. Vijay Sharma, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North).

Following officer was also present during the visit:

(i) Sh. Ghazanfar Ali Zaidi, ACF Nahargarh Sanctuary, Jaipur.

Observations

During field visit and on perusal of records, it was observed that: -

(i) That a dairy is being operated with approx. 10 cows/calves at one location measuring Approx.150 Sq. Yards area and part of the dairyis being operated opposite to it with approx. 3 buffaloin area Approx. 100 Sq. Yards area(Photographs enclosed at**Annexure-1**). The dairy being operated by Sh. Mohan Gurjar.

(ii) That owner of the dairy Sh. Mohan Gurjar was also present during the visit of the committee and he informed that this dairy is being operatedfrom last more than 50 years earlier being operated by his forefathers at this location.

(iii) During field visit it is found that dairy is being operated at two nearby places opposite to each other, one approx. 100 Sq. Yards falling in khasra No.5621/9105 in the name of Forest Department in Village Amer, District Jaipur and another in approx. 150 Sq. Yard land falls in described area of NWL Sanctuary. Therefore, one part of dairy is in Forest Block Amer 54 and other Part is in described area of the Sanctuary.

Conclusion

(I) Sh. Mohan Gurjar is operating dairy in Nahargarh Wildlife Sanctuary area, during field visit it is found that dairy is being operated at two nearby places opposite to each other, one approx. 100 Sq. Yards falling in khasra No.5621/9105 in the name of Forest Department in Village Amer, District Jaipur and another in approx. 150 Sq. Yard land falls in described area of NWL Sanctuary. Therefore, one part of dairy is in Forest Block Amer 54 and other Part is in described area of the Sanctuary.

Recommendation

(i) Sh. Mohan Gurjar is operating dairy in Nahargarh Wildlife Sanctuary without taking permission from concerned authorities. Forest Department has initiated and taken action against Sh. Mohan Gurjar which is apparent from factual cum action taken report dated 09.06.2023 prepared by ACF, NWL Sanctuary(Copy enclosed, **Annexure -2**).

(ii) Owner/ operator of the dairy may be directed to operate the dairy after obtaining all requisite permissions from the concerned departments.

Enclosures

(i) Photographs taken during the field visit (Annexure -1)

(ii) Factual cum action taken report dated 09.06.2023 prepared by ACF, NWL Sanctuary (Annexure -2).

	am Singh Kati	
Vijay Sharma	Sangram Singh Katiyar	Alka Bishnoi
Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)	Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.	ADM, Jaipur City (North), Jaipur.

Annexure-1

Photographs taken during the field visit:

Annexure-2

कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़
अभ्यारण्य

क्रमांक: 639 दिनांक 9/6/23

तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट

निमित्,
श्रीमान उप वन सरंक्षक
वन्य जीव चिड़ियाघर
जयपुर।

विषयः– नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा एवं ईको सेंसटिव जोन सीमा के अन्दर बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस एवं बिना पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की अनुमति के मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा अवैध रूप से बड़े स्तर पर अवैध पशु डेयरी का संचालन करके अभ्यारण्य क्षेत्र एवं आवासीय कॉलोनी में प्रदुषण फैलाकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ किये जा रहे खिलवाड़ को रोकने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– श्रीमान उप वन सरंक्षक, वन्य जीव चिड़ियाघर के पत्रांक 3298–98 दिनांक 24.04.2023 के क्रम में तथ्यात्मक विस्तृत जांच रिपोर्ट।

1. श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 10.11.2022, 14.01.2023, 11.03.2023 एवं श्री तिवाड़ी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 13.04.2023 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं कुछ कार्यालयों व संबंधित विभागों को शिकायत प्रेषित कर अवगत कराया कि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य नाका काला महादेव रैंज नाहरगढ़ कार्यक्षेत्र आमेर रोड जयपुर में मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा एवं ईको सेंसटिव जोन सीमा के अन्दर बिना वन विभाग की अनुमति एवं बिना वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस एवं बिना पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की अनुमति के अवैध रूप से बड़े स्तर पर अवैध पशु डेयरी का संचालन करके अभ्यारण्य क्षेत्र एवं आवासीय कॉलोनी में प्रदुषण फैलाकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है। इसी सन्दर्भ में उक्त डेयरी संचालक द्वारा गाय–भैंस के मलमूत्रों को नाहरगढ़ वन क्षेत्र की भूमि पर ले जाकर डाला जा रहा है जिससे अभ्यारण्य में प्रदुषण की मात्रा बढ़ रही है तथा जिस स्थान पर अवैध पशु डेयरी का संचालन किया जा रहा है, वह स्थान पूर्ण रूप से एक आवासीय कॉलोनी है। उक्त डेयरी संचालन की वजह से कॉलोनी के आस–पास का वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो चूका है, जिससे लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अवैध डेयरी संचालक बड़े वाहनों से पशु आहार लाता है, जब वह पशु आहार खाली करता है तो सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रदुषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसके कारण सभी लोगों को स्वास लेने में भी तकलीफ होती है। आपके पास कुल लगभग 60–70 पशु है, जिसका रिकॉर्ड प्रार्थी द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय से प्राप्त किया गया है तथा इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा निरन्तर पिछले दो वर्षो से नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भी सूचना दी जा रही है कि यह व्यक्ति अवैध रूप से पशु डेयरी का संचालन करता है, जिससे आवासीय कॉलोनी का वातावरण दिन–प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, परन्तु स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण के कारण उक्त व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कठोर कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इनके पास पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की अनुमति नहीं है और बिना अनुमति के यह व्यक्ति आवासीय कॉलोनी में बड़े स्तर पर पशु डेयरी का संचालन करके कॉलोनी के वातावरण को दूषित कर रहा है, जिससे आस–पास में निवास करने वाले लोगों का जीवन संकट में आ चुका है। यह व्यक्ति अपने जानवरों का मलमूत्र व कचरा अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र में डालकर अभ्यारण्य क्षेत्र को भी दूषित कर रहा है, जिससे वन क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अवैध डेयरी का कचरा व मलमूत्र कॉलोनी की नाली में बहाया जाता है जिससे कॉलोनी में मच्छरों एवं कीट–पतंगों की संख्या बढ़ गयी है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का इकोंसेंसटिव जोन अधिसूचित किया था, अभ्यारण्य क्षेत्र में वायु प्रदुषण

9/6/23

अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। तथा यह भी अवगत करावे कि केन्द्र सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ न0 06.10.2011 डब्लयू. एल. दिनांक 19.12.2012 द्वारा वन्यजीव अभ्यरणों/नेशनल पार्क की सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर संचालित की जाने वाली समस्त व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के संबध में गाइड लाइन जारी की गयी थी जिनके अनुसार किसी भी नेशनल पार्क/वन्यजीव अभ्यारणों की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी में संचालित होने वाले सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वाईल्ड लाइफ क्लीरेंस अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिटपिटिशन (सिविल) संख्या 460/2004 में निर्देषित किया है कि अभ्यारण्य की सीमा के निकट स्थित सभी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से क्लीरेंस लेना आवश्यक है। उक्त संचालित व्यवसायिक गतिविधियॉ उक्त गाइड लाइनों का व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन है।

2. श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा ऐसे परिवाद/शिकायत के क्रम में उप वन सरंक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 3297–98 दिनांक 24.04.2023 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को प्रकरण का जांच अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी चाही गई है। उक्त कार्यालय आदेश के क्रम में श्री मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा प्रथम नोटिस क्रमांक 554 दिनांक 02.05.2023 जारी कर परिवाद के क्रम में उठाये गये मुद्दों पर जवाब/स्पष्टीकरण चाहा गया था तथा डेयरी संचालन के संबंध में अनुमतियों की प्रति व मालिकाना दस्तावेज चाहे गये थे। पांच दिवस में तथा संबंधित विभाग नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान व अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ व वनपाल नाका काला महादेव को आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये थे परंतु अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ़ व वनपाल नाका काला महादेव द्वारा प्रथम नोटिस क्रमांक 555–61 दिनांक 02.05.2023 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया तथा अन्य विभाग नगर निगम हैरिटेज जयपुर उपायुक्त पशुधन एवं पशुपालन स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झालाना डूंगरी जयपुर द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनः अंतिम नोटिस क्रमांक 616 दिनांक 24.05.2023 द्वारा मोहन गुर्जर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण/दस्तावेज चाहे गये थे, निर्धारित समयावधि 05 दिवस में। परंतु अंतिम नोटिस के पश्चात् भी मोहन गुर्जर द्वारा स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कि कार्यालय नोटिस की अवमानना की श्रेणी में आता है तथा अंतिम नोटिस क्रमांक 617–22 दिनांक 24.05.2023 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी नाहरगढ़ व वनपाल नाका काला महादेव को प्रेषित कर कार्यवाही रिपोर्ट चाही गई थी। जो कि उनके द्वारा आदिनांक तक भी प्रेषित नहीं की गई। जो कि लोक सेवा आचरण के विरुद्ध है एवं अंतिम नोटिस की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान उपायुक्त, पशुधन एवं पशुपालन स्वास्थ्य नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय व क्षेत्रीय अधिकारी, नॉर्थ राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रेषित कर कार्यवाही रिपोर्ट चाही गई थी तथा अवैध डेयरी को हटाने के संबंध में व अभ्यारण्य में प्रदूषण के संबंध में कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था परंतु आदिनांक तक कार्यवाही रिपोर्ट अपेक्षित है। उक्त नोटिस के क्रम में श्री तिवाड़ी द्वारा दस्तावेज प्रेषित किये गये जिसमे मुख्यतः राजस्थान उच्च न्यायालय डीबी रिट पीटिशन संख्या 446/2015, 21797/2017 एवं 26359/2018 आदेश दिनांक 05.08.2019 की प्रति, अगर डेयरी संचालन की जगह जो कि पूर्व में पार्क था की प्रति, राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा जारी पशुओं के प्रमाण–पत्र संख्या 55, पुलिस थाना ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट धारा 133 चालान प्रति, नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी नोटिसों की प्रति व अन्य दस्तावेज प्रेषित किये गये जिन्हें पत्रावली जांच रिपोर्ट पर शामिल किया गया। (संलग्न–1)

3. यह है कि नाहरगढ जीव अभ्यारण राज्य आदेश कमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961, द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खंड़ आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.031982 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट अधिसूचना जारी की गयी है तथा राज्य आदेश क्रमांक 11(39) राजस्थान/8/80 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसे नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है

और उक्त अभ्यारण्ये क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है ओर यह भी स्पस्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्याण्ये को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है।

4. अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। आसपास गहन पूछतांछ की गई और यह पाया कि श्री मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अवैध पशु डेयरी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में आती है तथा अभ्यारण्य अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अभ्यारण्य सीमा में व्यावसायिक गतिविधि करने से पूर्व वन विभाग की अनुमति आवश्यक है परंतु मोहन गुर्जर द्वारा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना वन विभाग की अनुमति के बड़े स्तर पर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है जिसकी पुष्टि राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्रों से होती है एवं मौका निरीक्षण से होती है। यह पशु लगभग 50 से 60 संख्या में है। पशु डेयरी का संचालन 02 जगहों पर किया जाता है एक शुक्ल भवन, गुर्जर घाटी, तिवाड़ी भवन के सामने जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5621/9105 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अम्लदराज है। (गूगल मैप जमाबंदी संलग्न) तथा दूसरी तरफ तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 66 में है जो कि भैरू मीणा के नाम अम्लदराज है। श्री भैरू मीणा द्वारा उक्त खसरा नंबर को माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया था और माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लगभग 20 लोगों को आवंटन पत्र जारी कर कॉलोनी विकसित की गई थी। कॉलोनी विकसित करते समय माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र हेतु पार्क छोड़ा गया था जो कि तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जिसका आवंटन पत्र 1981 का है, मोहन गुर्जर द्वारा उक्त पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है। शिव नगर विकास समिति द्वारा जेडीए में कॉलोनी नियमन हेतु पत्रावली प्रेषित की गई है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। जेडीए के पीटी सर्वे हस्ताक्षरित नक्शे के अनुसार मोहन गुर्जर के कब्जे वाली भूमि पार्क की भूमि मार्क है जो प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त पार्क कॉलोनी के शुद्ध हवा का एकमात्र स्थान था जिसे मोहन गुर्जर द्वारा जबरन अतिक्रमण करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई। उक्त पार्क पर 02 विशाल वृक्ष थे, पूछताछ करने पर जानकारी में आया। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध रूप से वृक्षों का कटान किया गया तथा नीम के वृक्ष में केमिकल डालकर उसे सुखा दिया गया और पार्क की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर अवैध डेयरी का संचालन करता है। अवैध डेयरी के संचालन से अभ्यारण्य व आवासीन कॉलोनी का वातावरण दूषित हो रहा है। मोहन गुर्जर द्वारा अपने पशुओं के आहार हेतु बड़े वाहनों से चारा लाया जाता है जिसे खुले में खाली करवाने से आसपास की कॉलोनी में अंधकार छा जाता है जिससे उस समय श्वास लेना भी दुर्लभ हो जाता है जिससे वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है जिसकी पुष्टि पुलिस थाना ब्रह्मपुरी की चालना पत्रावली धारा 133 से भी होती है। उक्त प्रदूषण के कारण आसपास निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उक्त अवैध डेयरी का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ कॉलोनी के रोड़ पर छोड़ा जाता है जिससे अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध उत्पन्न होती है जो कि मानवीय जीवन के लिए संकट पैदा होने की पूर्ण संभावना है। उक्त क्षेत्र में प्रदूषण अधिक है तथा पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। अवैध डेयरी के अपशिष्ट को नष्ट करने का उपयुक्त स्थल भी संचालक के पास नहीं है। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध डेयरी के अपशिष्ट पदार्थ को नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5620–5621 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर व 36 पिलर नंबर 374 से 378 में डालता है तथा अस्थायी बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिससे वन एवं वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मोहन गुर्जर के पास अपने व्यावसायिक अवैध डेयरी के संचालन हेतु न तो नगर निगम से अनुमति प्राप्त है और न ही वन विभाग से अनुमति प्राप्त है और न ही प्रदूषण बोर्ड की एनओसी प्राप्त की गई एवं न ही फ़ायर निगम की अनुमति प्राप्त है। इस प्रकार बिना अनुमति के व्यावसायिक डेयरी का संचालन स्वयं में ही अवैध है। यहां पर

और उक्त अभ्यारण्ये क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है ओर यह भी स्पस्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्याण्ये को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है।

4. अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। आसपास गहन पूछताछ की गई और यह पाया कि श्री मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अवैध पशु डेयरी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में आती है तथा अभ्यारण्य अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अभ्यारण्य सीमा में व्यावसायिक गतिविधि करने से पूर्व वन विभाग की अनुमति आवश्यक है परंतु मोहन गुर्जर द्वारा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना वन विभाग की अनुमति के बड़े स्तर पर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है जिसकी पुष्टि राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्रों से होती है एवं मौका निरीक्षण से होती है। यह पशु लगभग 50 से 60 संख्या में है। पशु डेयरी का संचालन 02 जगहों पर किया जाता है एक शुक्ल भवन, गुर्जर घाटी, तिवाड़ी भवन के सामने जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5621/9105 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अम्लदराज है। (गूगल मैप जमाबंदी संलग्न) तथा दूसरी तरफ तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 66 में है जो कि भैरू मीणा के नाम अम्लदराज है। श्री भैरू मीणा द्वारा उक्त खसरा नंबर को माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया था और माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लगभग 20 लोगों को आवंटन पत्र जारी कर कॉलोनी विकसित की गई थी। कॉलोनी विकसित करते समय माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र हेतु पार्क छोड़ा गया था जो कि तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जिसका आवंटन पत्र 1981 का है, मोहन गुर्जर द्वारा उक्त पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है। शिव नगर विकास समिति द्वारा जेडीए में कॉलोनी नियमन हेतु पत्रावली प्रेषित की गई है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। जेडीए के पीटी सर्वे हस्ताक्षरित नक्शे के अनुसार मोहन गुर्जर के कब्जे वाली भूमि पार्क की भूमि मार्क है जो प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त पार्क कॉलोनी के शुद्ध हवा का एकमात्र स्थान था जिसे मोहन गुर्जर द्वारा जबरन अतिक्रमण करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई। उक्त पार्क पर 02 विशाल वृक्ष थे, पूछताछ करने पर जानकारी में आया। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध रूप से वृक्षों का कटान किया गया तथा नीम के वृक्ष में केमिकल डालकर उसे सुखा दिया गया और पार्क की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर अवैध डेयरी का संचालन करता है। अवैध डेयरी के संचालन से अभ्यारण्य व आवासीन कॉलोनी का वातावरण दूषित हो रहा है। मोहन गुर्जर द्वारा अपने पशुओं के आहार हेतु बड़े वाहनों से चारा लाया जाता है जिसे खुले में खाली करवाने से आसपास की कॉलोनी में अंधकार छा जाता है जिससे उस समय श्वास लेना भी दुर्लभ हो जाता है जिससे वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है जिसकी पुष्टि पुलिस थाना ब्रह्मपुरी की चालना पत्रावली धारा 133 से भी होती है। उक्त प्रदूषण के कारण आसपास निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उक्त अवैध डेयरी का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ कॉलोनी के रोड़ पर छोड़ा जाता है जिससे अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध उत्पन्न होती है जो कि मानवीय जीवन के लिए संकट पैदा होने की पूर्ण संभावना है। उक्त क्षेत्र में प्रदूषण अधिक है तथा पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। अवैध डेयरी के अपशिष्ट को नष्ट करने का उपयुक्त स्थल भी संचालक के पास नहीं है। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध डेयरी के अपशिष्ट पदार्थ को नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5620–5621 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर व 36 पिलर नंबर 374 से 378 में डालता है तथा अस्थायी बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिससे वन एवं वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मोहन गुर्जर के पास अपने व्यावसायिक अवैध डेयरी के संचालन हेतु न तो नगर निगम से अनुमति प्राप्त है और न ही वन विभाग से अनुमति प्राप्त है और न ही प्रदूषण बोर्ड की एनओसी प्राप्त की गई एवं न ही फ़ायर निगम की अनुमति प्राप्त है। इस प्रकार बिना अनुमति के व्यावसायिक डेयरी का संचालन स्वयं में ही अवैध है। यहां पर

और उक्त अभ्यारण्ये क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है ओर यह भी स्पस्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्याण्ये को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है।

4. अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। आसपास गहन पूछताछ की गई और यह पाया कि श्री मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अवैध पशु डेयरी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में आती है तथा अभ्यारण्य अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अभ्यारण्य सीमा में व्यावसायिक गतिविधि करने से पूर्व वन विभाग की अनुमति आवश्यक है परंतु मोहन गुर्जर द्वारा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना वन विभाग की अनुमति के बड़े स्तर पर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है जिसकी पुष्टि राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्रों से होती है एवं मौका निरीक्षण से होती है। यह पशु लगभग 50 से 60 संख्या में है। पशु डेयरी का संचालन 02 जगहों पर किया जाता है एक शुक्ल भवन, गुर्जर घाटी, तिवाड़ी भवन के सामने जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5621/9105 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अम्लदराज है। (**गूगल मैप जमाबंदी संलग्न**) तथा दूसरी तरफ तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 66 में है जो कि भैरू मीणा के नाम अम्लदराज है। श्री भैरू मीणा द्वारा उक्त खसरा नंबर को माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया था और माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लगभग 20 लोगों को आवंटन पत्र जारी कर कॉलोनी विकसित की गई थी। कॉलोनी विकसित करते समय माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र हेतु पार्क छोड़ा गया था जो कि तिवाड़ी भवन के दक्षिण में स्थित है जिसका आवंटन पत्र 1981 का है, मोहन गुर्जर द्वारा उक्त पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध पशु डेयरी का संचालन करता है। शिव नगर विकास समिति द्वारा जेडीए में कॉलोनी नियमन हेतु पत्रावली प्रेषित की गई है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। जेडीए के पीटी सर्वे हस्ताक्षरित नक्शे के अनुसार मोहन गुर्जर के कब्जे वाली भूमि पार्क की भूमि मार्क है जो प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त पार्क कॉलोनी के शुद्ध हवा का एकमात्र स्थान था जिसे मोहन गुर्जर द्वारा जबरन अतिक्रमण करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई। उक्त पार्क पर 02 विशाल वृक्ष थे, पूछताछ करने पर जानकारी में आया। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध रूप से वृक्षों का कटान किया गया तथा नीम के वृक्ष में केमिकल डालकर उसे सुखा दिया गया और पार्क की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर अवैध डेयरी का संचालन करता है। अवैध डेयरी के संचालन से अभ्यारण्य व आवासीन कॉलोनी का वातावरण दूषित हो रहा है। मोहन गुर्जर द्वारा अपने पशुओं के आहार हेतु बड़े वाहनों से चारा लाया जाता है जिसे खुले में खाली करवाने से आसपास की कॉलोनी में अंधकार छा जाता है जिससे उस समय श्वास लेना भी दुर्लभ हो जाता है जिससे वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है जिसकी पुष्टि पुलिस थाना ब्रह्मपुरी की चालना पत्रावली धारा 133 से भी होती है। उक्त प्रदूषण के कारण आसपास निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उक्त अवैध डेयरी का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ कॉलोनी के रोड़ पर छोड़ा जाता है जिससे अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध उत्पन्न होती है जो कि मानवीय जीवन के लिए संकट पैदा होने की पूर्ण संभावना है। उक्त क्षेत्र में प्रदूषण अधिक है तथा पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। अवैध डेयरी के अपशिष्ट को नष्ट करने का उपयुक्त स्थल भी संचालक के पास नहीं है। मोहन गुर्जर द्वारा अवैध डेयरी के अपशिष्ट पदार्थ को नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन भूमि वन खण्ड आमेर 54 खसरा नंबर 5620–5621 ग्राम आमेर, तहसील–आमेर जिला–जयपुर व 36 पिलर नंबर 374 से 378 में डालता है तथा अस्थायी बाड़ा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिससे वन एवं वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मोहन गुर्जर के पास अपने व्यावसायिक अवैध डेयरी के संचालन हेतु न तो नगर निगम से अनुमति प्राप्त है और न ही वन विभाग से अनुमति प्राप्त है और न ही प्रदूषण बोर्ड की एनओसी प्राप्त की गई एवं न ही फ़ायर निगम की अनुमति प्राप्त है। इस प्रकार बिना अनुमति के व्यावसायिक डेयरी का संचालन स्वयं में ही अवैध है। यहां पर

यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कार्यालय उपायुक्त पशुधन, पशुपालन स्वास्थ्य नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय द्वारा मोहन गुर्जर के अवैध पशु डेयरी के संचालन के संबंध में व उसे हटाने के संबंध में नोटिस समय-समय पर जारी किये जाते रहे हैं परंतु कार्यवाही की हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय यह जानते हुए कि डेयरी का संचालन अवैध है मात्र नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रकाश में आया कि माननीय उच्च न्यायालय डीवी रिट पिटीशन संख्या 446/2015, 21797/2017 एवं 26359/2018 आदेश दिनांक 05.08.2019 में स्पष्ट रूप से नगर निगम हैरिटेज जयपुर को निर्देशित किया गया है कि निगम क्षेत्र में अवैध डेयरी का संचालन बंद कराये तथा पानी-बिजली के कनेक्शन भी हटाये। परंतु नगर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना की गई है, इस प्रकार मोहन गुर्जर द्वारा संचालित पशु डेयरी वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 एवं वन सरंक्षण अधिनियम 1980 एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, भारतीय दंड संहिता व माननीय उच्च न्यायालय डीवी रिट पिटीशन संख्या 446/2015, 21797/2017 एवं 26359/2018 आदेश दिनांक 05.08.2019 व फायर अधिनियम की अवमानना की श्रेणी में आता है।

अनुशंषा

संपूर्ण प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता यह अनुशंषा करता है कि अभ्यारण्य का वातावरण शुद्ध रहे इस हेतु उक्त अवैध पशु डेयरी के संचालन को तत्काल हटाया जावे तथा वन भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34(1) के तहत मुकदमा दर्ज करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया जावे । तथा अभ्यारण्य व आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक पशु डेयरी संचालन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, नॉर्थ राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अपोजिट रोड़ नं. -5 वीकेआई, सीकर रोड़ जयपुर को पॉल्युशन अधिनियम में मोहन गुर्जर (संचालक) के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा जावे तथा उपायुक्त पशुधन एवं पशुपालन स्वास्थ्य नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय जयपुर को उक्त अवैध डेयरी को हटाने/सीज करने हेतु लिखा जावे। तथा पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु आयुक्त एवं उपायुक्त जोन-2 जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा जावे तथा उपायुक्त फायर स्टेशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावे साथ ही उप वन सरंक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त पार्क विकसित करने हेतु लिखा जावे।

धन्यवाद।

भवदीय,

सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

क्रमांकः 640-49 दिनांक 9/6/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् उपायुक्त पशुधन एवं पशुपालन स्वास्थ्य नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय (पुराना पुलिस मुख्यालय) हवामहल के पीछे जयपुर 302002 को प्रेषित कर लेख है कि मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अवैध पशु डेयरी को हटाकर/सीज कर इस कार्यालय को 10 दिवस में सूचित करे।
2. श्रीमान् उपायुक्त जोन-2 जयपुर विकास प्राधिकरण जेएलएन मार्ग को प्रेषित कर लेख है कि मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा पार्क की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमण से मुक्त करने का कष्ट करें।
3. श्रीमान् मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वनीपार्क निगर निगंम हैरिटेज, को प्रेषित कर लेख है कि मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर द्वारा संचालित अवैध पशु डेयरी बिना फायर एनओसी के संचालित की जा रही है जिसके क्रम में नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने का श्रम करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, नॉर्थ राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अपोजिट रोड़ नं. 5, वीकेआईए, सीकर रोड़, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी

भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर के विरुद्ध प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा उक्त अवैध डेयरी को सीज करें जिससे अभ्यारण्य को दूषित होने से बचाया जा सके। तथा आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का श्रम करावें।

5. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अवैध पशु डेयरी संचालक स्थल शुक्ल भवन का वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर पत्रावली न्यायालय सहायक वन सरंक्षक वन्य जीव नाहरगढ़ को प्रेषित करें तथा अस्थाई बाड़े को अतिक्रमण से मुक्त करें।
6. वनपाल नाका काला महादेव नाहरगढ जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अवैध पशु डेयरी संचालक स्थल शुक्ल भवन का वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर पत्रावली न्यायालय सहायक वन सरंक्षक वन्य जीव नाहरगढ़ को प्रेषित करें तथा अस्थाई बाड़े को अतिक्रमण से मुक्त करें।
7. श्री मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 11, तिवाड़ी भवन के पास, आमेर रोड़, जयपुर 302002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. श्री राजेन्द्र तिवाड़ी, तिवाड़ी भवन गुर्जर घाटी, आमेर रोड़ जयपुर 302002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. श्री कृष्ण शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, प्लॉट नं.–9, जैन गार्डन, बास बदनपुरा, जयपुर 302002 को आपके नोटिस दिनांक 13.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. गार्ड पत्रावली।

सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

31

राजस्थान सरकार
वन (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ 11(30)राज-8/80 जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधिसूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प01101014/3/72 एफ0आर0आई0/डब्ल्यू0एल0एफ0 दिन 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वानस्पतीय, भू-संरचना, सम्बन्धित-नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्र महत्त्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड तालेड़ा व ग्राम खुराड की उत्तरी सीमा तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र। [illegible] वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बरान 1090 व 1091 व ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4, 5, 6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस खुराड चिमनपुरा आमेर, आबादी आमेर मावठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

पश्चिम- नाहरगढ़ का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम [illegible] बीड [illegible] व [illegible] से पश्चिम विश्वकर्मा, औद्योगिक [illegible] व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसला आकेड़ा,

क्रमशः---2

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिड़ियाघर, जयपुर

--2--

शिक्षावास, बड़ा गांव मावठा व समीपवर्ती वन क्षेत्र बड़ा गांव मावठा खसरा नं० 82-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र बीड़ खाजेज़ा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93

राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर)

(एम०एम०सिंघवी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3- समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8- जिलाधीश, जयपुर।
9- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक अनुभाग 3 को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10- गार्ड फाईल

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुन: प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

(हस्ताक्षर) एम०पी०बेरवा/21-9-80

प्रतिलिपि ... जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही, भेजी जाती है।

(हस्ताक्षर)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिड़ियाघर, जयपुर